

(याचिका का हिन्दी संस्करण)

याचिका संख्या जीटी/2024

2019-24 तक की अवधि के लिए चुटक पावर स्टेशन के टैरिफ के ड्रूंग-अप हेतु याचिका और
2024-29 की अवधि के लिए चुटक पावर स्टेशन के टैरिफ हेतु याचिका

एनएचपीसी लिमिटेड

(भारत सरकार का एक नवरत्न उद्यम)

NHPC Limited

(A Government of India Navratna Enterprise)



A Navratna Company

खंड-1

वाणिज्यिक विभाग

एनएचपीसी कार्यालय परिसर

सेक्टर-33, फरीदाबाद (हरियाणा) -121003

(अंग्रेजी संस्करण और हिंदी संस्करण के बीच असंगति या विसंगति की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।)

माननीय केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष

माननीय केंद्रीय विद्युत नियामक के समक्ष

आयोग, नई दिल्ली

याचिका संख्या /जीटी/2024

इस मामले में :

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1) (ए) और 79(1)(ए) और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनियम, 2023 के विनियम 15(1)(ए), 18, 23 और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबन्धन एवं शर्तों) विनियम, 2019 के विनियम 13, 25,26,31(3), 34(3) , 35(2) के तहत **चुटक पावर स्टेशन** के संबंध में टैरिफ अवधि 2019-24 हेतु टैरिफ के टूटंग अप हेतु याचिका ।

और इस मामले में :

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1) (ए) और 79(1)(ए) और और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनियम, 2023 के विनियम 15(1)(ए), 18, 23 और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबन्धन एवं शर्तों) विनियम, 2024 के विनियम 9(2), 10(1), 12, 25, 26,36 (2), 65(7), 65(8) एवं 91 और अन्य प्रासंगिक विनियमों के तहत चुटक पावर स्टेशन के संबंध में 2024-29 की अवधि के लिए टैरिफ के निर्धारण हेतु याचिका ।

याचिकाकर्ता:

एनएचपीसी लिमिटेड,

(भारत सरकार का नवरत्न उद्यम)

एनएचपीसी कार्यालय परिसर, सेक्टर-33,

फरीदाबाद (हरियाणा) - 121 003.

प्रतिवादी

प्रधान सचिव,

विद्युत विकास विभाग, नया सचिवालय,

जम्मू (जम्मू और कश्मीर)- 180 001

ईमेल : cejkpcl@gmail.com

stjkd1@gmail.com

फ़ोन : 9419156100.

एनएचपीसी लिमिटेड

के माध्यम से

(अजय श्रीवास)

महाप्रबंधक (वाणिज्य)

स्थान : फरीदाबाद

तारीख :

अनुक्रमणिका

क्रम सं.	विवरण	पृष्ठ सं.
खंड - I		
1.	अनुक्रमणिका	1-3
2.	याचिका	3-40
3.	शपथ पत्र एवं अधिकार पत्र	41-43
4.	अनुलग्नक:	
अनुलग्नक -I	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2019 में निर्धारित अनुसार ऑडिटेड टैरिफ फॉर्म 1 से 19	44-161
अनुलग्नक -II	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ की शर्तें एवं नियम) विनियम, 2024 में निर्धारित अनुसार ऑडिटेड टैरिफ फॉर्म 1 से 19	162-217
अनुलग्नक - III (अ)	याचिका संख्या 283/जीटी/2020 में केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (CERC) टैरिफ आदेश दिनांक 23.02.2022	218-306
अनुलग्नक - III (ब)	याचिका संख्या 283/जीटी/2020 में जारी सीईआरसी टैरिफ आदेश दिनांक 03.12.2022 के संबंध में समीक्षा याचिका 20/आरपी/2022	307-316
अनुलग्नक - III (स)	समीक्षा याचिका 20/आरपी/2022 में शुद्धिपत्र आदेश जारी करना	317-320
अनुलग्नक - III (ड)	याचिका संख्या 233/एमपी/2019 में सीईआरसी का आदेश दिनांक 10.11.2022	321-360
अनुलग्नक - III (ए)	वेतन संशोधन के प्रभाव का दावा करने के लिए लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र	361-365
अनुलग्नक - IV	लेखा परीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित प्रभावी दर प्रमाणपत्र	366-375
खंड -II		

अनुलग्नक -V	2019-20 और 2020-21 की अवधि के लिए ऑडिटेड बैलेंस शीट	376-719
खंड -III		
अनुलग्नक -V	2021-22 से 23-24 की अवधि के लिए ऑडिटेड बैलेंस शीट	720-980
अनुलग्नक -VI (अ)	कार्यशाला/केंद्रीय स्टोर में सुरक्षा बैरक के निर्माण के लिए सहायक दस्तावेज (क्रम संख्या ए-22, फॉर्म 9 ए - वित्तीय वर्ष 2019-20, क्रम संख्या बी-8, फॉर्म 9 ए - वित्तीय वर्ष 2020-21 और क्रम संख्या सी 1, फॉर्म 9 ए - वित्तीय वर्ष 2021-22) - इस याचिका के पृष्ठ संख्या 68, 72 और 76	981-993
अनुलग्नक -VI (ब)	सीपीएस में पावर हाउस के टीआरटी आउटलेट पर कंक्रीट क्लैडिंग के निर्माण के लिए सहायक दस्तावेज (क्रम संख्या बी-10, फॉर्म 9 ए, वित्तीय वर्ष 2020-21 और क्रम संख्या सी-2 फॉर्म 9 ए, वित्तीय वर्ष 2021-22) - इस याचिका के पृष्ठ संख्या 73 और 75	994-1002
अनुलग्नक -VI (स)	फायर अलार्म कम डिटेक्शन सिस्टम के लिए सहायक दस्तावेज (क्रम संख्या सी-2, फॉर्म 9 ए, वित्तीय वर्ष 2020-21) - इस याचिका के पृष्ठ संख्या 73	1003-1004
अनुलग्नक -VI (ड)	रिमोट ऑपरेशन के लिए चुटक और निम्मो बाज़गो पावर स्टेशन के बीच संचार कनेक्टिविटी के लिए सहायक दस्तावेज (क्रम संख्या सी-3 फॉर्म 9 ए, वित्तीय वर्ष 2021-22) - इस याचिका के पृष्ठ संख्या 75	1005-1007
अनुलग्नक -VI (ए)	स्वचालित बाढ़ निगरानी प्रणाली के लिए सहायक दस्तावेज (क्रम संख्या सी-4 फॉर्म 9 ए, वित्तीय वर्ष 2021-22)- इस याचिका के पृष्ठ संख्या 75	1008-1014
अनुलग्नक -VI (फ)	आईपी आधारित सीसीटीवी कैमरा और उसके सहायक उपकरणों की SITC के लिए सहायक दस्तावेज (क्रम संख्या सी-1 फॉर्म 9 ए, वित्तीय वर्ष 2022-23) इस याचिका के पृष्ठ संख्या 78)	1014-1021
अनुलग्नक -VI (ग)	बैराज पर पर्यावरण प्रवाह मीटर की आपूर्ति और स्थापना के लिए सहायक दस्तावेज (क्रम संख्या सी-2 फॉर्म 9 ए, वित्तीय वर्ष 2022-23) इस याचिका के पृष्ठ संख्या 78)	1022-1030
खंड -IV		
अनुलग्नक -VII	427 वीं एनएचपीसी निदेशक मंडल की बैठक का कार्यवृत्त और बोर्ड एजेंडा नोट	1031-1032
अनुलग्नक -VIII	बीमा दावे के समर्थन में दस्तावेज़- मेगा बीमा पॉलिसी	1033-1248
अनुलग्नक -IX	बीमा दावे के समर्थन में दस्तावेज़-सीपीएम पॉलिसी	1249-1334
खंड -V		
अनुलग्नक -X	चुटक पावर स्टेशन के संबंध में एनएचपीसी और एचसीसी के बीच मध्यस्थता मामले में न्यायालय का आदेश दिनांक 31.12.2014 और 20.12.2023	1335-1514
अनुलग्नक -XI	प्रतिवादी (गण) को भेजे गए ईमेल का प्रमाण (केवल CERC के लिए)	

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1) (ए) और 79(1)(ए) और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनियम, 2023 के विनियम 15(1)(ए), 18, 23 और केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2019 के विनियम 13, 25,26,31(3), 34(3),35(2) और 2019-24 की अवधि के लिए टैरिफ के सही निर्धारण के लिए इसके बाद के संशोधन और चुटक पावर स्टेशन के संबंध में 2024-29 की अवधि के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2024 के विनियम 9(2), 10(1), 12, 25, 26,36 (2), 65(7), 65(8) एवं 91 और और अन्य प्रासंगिक विनियमों के तहत याचिका।

(ए) याचिका का कार्यकारी सारांश

1. एनएचपीसी लिमिटेड, जिसे आगे 'एनएचपीसी' कहा जाएगा, विद्युत मंत्रालय के अधीन भारत सरकार का एक नवरत्न उद्यम है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत एक कंपनी है। इसके अलावा, यह विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 2(28) के तहत परिभाषित एक 'जनरेटिंग कंपनी' है। एनएचपीसी के पावर स्टेशनों से उत्पादित बिजली उसके लाभार्थियों को आपूर्ति की जा रही है।
2. क्रमांक संख्या 1 पर प्रतिवादी उल्लिखित हैं जो चुटक पावर स्टेशन (6 x115=690 मेगावाट) के अकेले लाभार्थी हैं तथा जो हस्ताक्षरित विद्युत क्रय समझौतों (पीपीए)/बीपीएसए के अनुसार इस पावर स्टेशन से बिजली प्राप्त कर रहे हैं और अपने राज्य/क्षेत्र में बिजली के वितरण के लिए जिम्मेदार है।
3. चुटक पावर स्टेशन (4 x11=44 मेगावाट) (जिसे आगे "चुटक" पावर स्टेशन कहा जाएगा) जम्मू एवं कश्मीर राज्य में स्थित है तथा इसका 01.02.2013 को वाणिज्यिक संचालन घोषित किया गया है। एनएचपीसी वाणिज्यिक संचालन के बाद से इस पावर स्टेशन का संचालन और रखरखाव कर रही है।

4. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 में वितरण लाइसेंसधारी को विद्युत आपूर्ति करने वाली उत्पादक कंपनी द्वारा विद्युत आपूर्ति के लिए उपयुक्त आयोग द्वारा टैरिफ निर्धारण का प्रावधान है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 79(1)(ए) के तहत माननीय आयोग को केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली या उसके नियंत्रण वाली उत्पादक कंपनियों के टैरिफ को विनियमित करने का कार्य सौंपा गया है।
5. माननीय आयोग द्वारा केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ की शर्तें और नियम) विनियम, 2019 के अनुसार याचिका संख्या 283/जीटी/2020 में अपने आदेश दिनांक 23.02.2022 और उसके बाद के समीक्षा आदेश दिनांक 3.12.2022 और शुद्धि पत्र दिनांक 19.12.2022 के माध्यम से टैरिफ अवधि 01.04.2019 से 31.03.2024 के लिए चुटक का टैरिफ निर्धारित किया गया है।
6. याचिका से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं निम्नानुसार हैं :

01.02.2013	चुटक पावर स्टेशन का सीओडी
31.10.2019	2014-19 की अवधि के लिए टैरिफ के टू-अप और 2019-24 की अवधि के लिए टैरिफ के निर्धारण के हेतु टैरिफ याचिका संख्या 283/जीटी/2020 दाखिल करना
23.02.2022	याचिका संख्या 283/जीटी/2020 में 2014-19 की अवधि के लिए टैरिफ के टूइंग-अप और 2019-24 की अवधि के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए टैरिफ आदेश जारी होना
15.06.2022	याचिका संख्या 283/जीटी/2020 के 23.02.2022 के टैरिफ आदेश में समीक्षा याचिका 20/आरपी/2023 दाखिल करना।
03.12.2022	समीक्षा याचिका 20/आरपी/2023 में टैरिफ आदेश दिनांक 23.02.202 में

	याचिका संख्या 283/जीटी/2020 में आदेश जारी करना।
19.12.2022	समीक्षा याचिका 20/आरपी/2022 में शुद्धिपत्र आदेश जारी करना

दावों का सारांश:

(ट्रडिंग अप याचिका- 2019-24)

पूंजीगत लागत :

(लाख रुपए में)

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
दिनांक 23.02.2022 के आदेश द्वारा नेट अतिरिक्त अनुमत पूंजीकरण (Net Allowed Add Cap)	603.06	589.49	840.04	10.00	60.00
इस याचिका में दावा किया गया नेट वास्तविक ऐड कैप	524.96	520.85	962.07	517.98	290.14
समापन पूंजी लागत	93,016.77	93,537.62	94,499.70	95,017.67	95,307.81

वार्षिक नियत लागत (एएफसी) :

(लाख रुपए में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
दिनांक 23.02.2022 के आदेश द्वारा अनुमत वार्षिक नियत लागत (एएफसी)	15388.28	15456.62	15558.46	15660.63	15696.39
तत्काल याचिका में दावा किया गया वार्षिक नियत लागत (एएफसी)	15,853.39	15985.39	16,111.78	17,013.04	17,295.85

(टैरिफ याचिका- 2024-29)

पूंजी लागत:

(₹ लाख में)

विवरण	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
प्रारंभिक पूंजी लागत (Opening Capital Cost)	95,307.81	1,03,128.98	1,03,286.64	1,03,379.48	1,03,379.48
वर्ष के दौरान शुद्ध अतिरिक्त पूंजीकरण	7,821.17	157.66	92.84	0.00	16.33
समापन पूंजी लागत	1,03,128.98	1,03,286.64	1,03,379.48	1,03,379.48	1,03,395.81

वार्षिक नियत लागत (एएफसी):

(₹ लाख में)

विवरण (Particular)	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
वार्षिक नियत लागत (एएफसी) का दावा	16,988.70	13,763.54	14,046.28	14,345.32	14,648.58

(बी) विस्तृत याचिका

भाग-ए: 2019-24 की अवधि के लिए टैरिफ का ड्रॉइंग अप (अनुलग्नक-1)

- माननीय आयोग ने, केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ की शर्तें और नियम) विनियम, 2019 और उसके बाद के संशोधनों के अनुसार, याचिका संख्या 283/जीटी/2020 में अपने आदेश दिनांक 23.02.2022 और उसके बाद के समीक्षा आदेश दिनांक 3.12.2022 और शुद्धि पत्र दिनांक 19.12.2022 के तहत टैरिफ अवधि 01.04.2019 से 31.03.2024 के लिए चुटक पावर स्टेशन का टैरिफ निर्धारित किया है।
- माननीय आयोग द्वारा दिनांक 23.02.2022 के आदेश के तहत अनुमत अनुमानित अतिरिक्त पूंजीकरण और गैर पूंजीकरण (देयताओं के निर्वहन सहित, यदि कोई है) का सारांश निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
अतिरिक्त पूंजीगत व्यय की अनुमति	138.43	372.02	282.74	0.00	0.00
परियोजना के मूल कार्यक्षेत्र के अलावा अतिरिक्त पूंजीगत व्यय की अनुमति	251.70	35.00	0.00	10.00	60.00
पूंजीकरण से मुक्ति	8.43	22.65	0.00	0.00	0.00
अनुमानित विलोपन	0.00	6.77	12.89	0.00	0.00
निर्वहन	221.36	211.89	570.19	0.00	0.00
अनुमत शुद्ध अतिरिक्त पूंजीगत व्यय	603.06	589.49	840.04	10.00	60.00

3. माननीय आयोग द्वारा दिनांक 23.02.2022 के आदेश के तहत 92491.81 लाख रुपये (01.04.2019 तक) की प्रारंभिक पूंजी लागत और अतिरिक्त पूंजीकरण पर विचार करते हुए अनुमत वार्षिक निश्चित शुल्क (एएफसी) का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
मूल्यहास	4653.96	4683.86	4719.71	4741.03	4742.78
ऋण पूंजी पर ब्याज	1249.96	1090.33	936.29	781.78	595.27
इक्विटी पर रिटर्न	5222.81	5249.88	5289.35	5313.09	5313.38
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	338.29	322.28	306.91	313.26	318.44
प्रचालन और रखरखाव खर्चे	3923.25	4110.27	4306.20	4511.47	4726.52

(O & M Expenses)					
सुरक्षा को मिलाकर					
वार्षिक नियत लागत (एएफसी)	15388.28	15456.62	15558.46	15660.63	15696.39

4. वर्तमान याचिका, वास्तविक अतिरिक्त पूंजीगत व्यय, इक्विटी पर रिटर्न की सकल कर दर, आधार दर, ऋण पर ब्याज दर, कार्यशील पूंजी पर ब्याज दर के आधार पर टैरिफ के टू-अप के लिए सीईआरसी (टैरिफ के नियम और शर्तें) विनियमन, 2019 के नियम 13, 25, 26, 31 (3), 34 (3), 35 (2) (सी), 65 (7) और 65 (8) के अनुसार 2019-24 की अवधि के लिए टैरिफ के टू-अप के लिए माननीय आयोग के 23.02.2022 के टैरिफ आदेश के तहत निर्देश के अनुसार दायर की जा रही है।
5. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान याचिका निम्नलिखित कारणों से दायर की गई है:

ए. सीईआरसी द्वारा जारी दिनांक 23.02.2022 के आदेश के अनुसार, अनुमत अतिरिक्त पूंजीगत व्यय और 2019-24 के दौरान चुटक द्वारा किए गए वास्तविक अतिरिक्त पूंजीगत व्यय में भिन्नता है। इसके अलावा, सीईआरसी द्वारा अनुमत कुछ अतिरिक्त पूंजीगत व्यय (संबंधित विलोपन सहित) नहीं किया गया है/नहीं किया जाना है और इसलिए इस याचिका में वास्तविक स्थिति का खुलासा/दावा किया जा रहा है।

बी. कुछ अतिरिक्त पूंजीगत व्यय जिनका अनुमान पहले नहीं लगाया गया था, परंतु साइट विशेष की आवश्यकताओं के कारण (specific site requiremets), पावर स्टेशन द्वारा वहन किया गया जो संयंत्र के सुरक्षित, सफल और कुशल संचालन के लिए आवश्यक है। इस तरह के अतिरिक्त पूंजीकरण को टैरिफ के लिए आधारभूत पूंजी (capital base) के हिस्से के रूप में शामिल किया जाना चाहिए।

सी. सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2019 के विनियम 31(3) के अनुरूप 2019-24 की अवधि के लिए एनएचपीसी पर लागू 'प्रभावी कर दर' के आधार पर इक्विटी पर रिटर्न की सकल दर का टूइंग अप करने हेतु।

डी. ऋण पूंजी पर ब्याज (IOL) की गणना के लिए ऋण पूंजी पर ब्याज की दर एवं इक्विटी पर रिटर्न (कट-ऑफ तिथि के बाद मूल दायरे से परे अतिरिक्त पूंजीकरण पर इक्विटी के लिए) की गणना का टूइंग अप करने हेतु।

ई. कार्यशील पूंजी पर ब्याज (IOWL) की गणना के लिए आधार दर (टैरिफ अवधि के संबंधित वर्ष की 1 अप्रैल को एक वर्षीय एसबीआई एमसीएलआर + 350 आधार अंक) का टूइंग अप करने हेतु।

6. टैरिफ के लिए दावा किए गए शुद्ध अतिरिक्त पूंजीकरण का विवरण 2019-24 की अवधि के लिए books के अनुसार वास्तविक पूंजीगत परिवर्धन से प्राप्त किया गया है। इसका विवरण नीचे सारणीबद्ध है:

(₹ लाख में)

क्रम सं.	विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
ए	जोड़ें: वर्ष / अवधि के दौरान वृद्धि	504.43	278.29	893.61	492.16	431.24
बी	घटाएँ: वर्ष/अवधि के दौरान गैर-पूंजीकरण	8.70	4.32	0.10	178.35	143.76
सी	जोड़ें: वर्ष / अवधि के दौरान निर्वहन (discharges)	29.23	246.88	68.57	204.17	2.66
डी	शुद्ध योग (ए-बी+सी)	524.96	520.85	962.07	517.98	290.14

7. कुछ अतिरिक्त पूंजीकरण,जिनका दावा पहले याचिका संख्या 283/जीटी/2020 में नहीं किया गया था और जो जनरेटिंग स्टेशन के सुरक्षित, सफल और कुशल संचालन के लिए आवश्यक हो गए हैं। ये कार्य पावर स्टेशन के साइट की आवश्यकता के अनुसार किए गए हैं और 2019-24 की अवधि के लिए पुस्तकों (books) में पूंजीकृत किए गए हैं। इस तरह के अतिरिक्त पूंजीकरण का दावा सीईआरसी टैरिफ विनियम 2019 के विनियम 26 के तहत संबंधित वित्तीय वर्ष में विस्तृत औचित्य के साथ फॉर्म 9A में किया गया है, क्योंकि व्यय के दावे के लिए कोई विशिष्ट खंड नहीं है। माननीय आयोग से अनुरोध है कि कृपया जनरेटिंग स्टेशन के टैरिफ के उद्देश्य से इस तरह के अतिरिक्त पूंजीकरण की अनुमति प्रदान करें।

8. छोटी संपत्तियों, औजारों और उपकरणों, फर्नीचर, कंप्यूटर आदि के प्रकृति की कुछ वस्तुएं, जिन्हें सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2019 के नियमन 25 और 26 के प्रावधानों के अनुसार कट ऑफ तारीख के बाद टैरिफ के उद्देश्य से पूंजीकृत करने की अनुमति नहीं है, को अप श्रेणी (फॉर्म 9डी) के तहत रखा गया है। ऐसी वस्तुओं को हटाने को फॉर्म 9बी(i) में भी बहिष्करण श्रेणी में रखा गया है क्योंकि टैरिफ के उद्देश्य से सीईआरसी द्वारा संबंधित सकारात्मक प्रविष्टियों की अनुमति नहीं दी जा रही है। यह याचिका संख्या 283/जीटी/2020 में दिनांक 23.02.2022 के आदेश के पैरा-53 से 54 में माननीय आयोग के निर्णय के अनुरूप भी है। तदनुसार, माननीय आयोग से अनुरोध है कि टैरिफ के उद्देश्य से ऐसी प्रविष्टियों को बाहर रखा जाए / अनदेखा किया जाए।

9. कठोर मौसम की स्थिति और भारी बर्फबारी के कारण, चुटक पावर स्टेशन साल में लगभग 6 महीने सर्दियों के मौसम में जोजिला दर्रे पर सड़क बंद होने के कारण श्रीनगर से कटा रहता है और केवल 6 घंटे में सड़क मार्ग से लेह के माध्यम से पहुंचा जा सकता है, जो भारी बर्फबारी के कारण बीच-बीच में बंद हो जाता है। यहां तक कि चुटक पावर स्टेशन के पावर हाउस को आवासीय परिसर से जोड़ने वाली सड़क भी भारी बर्फबारी के कारण कई बार बंद हो जाती है। सर्दियों के मौसम में पावर हाउस तक

पहुंचना असंभव हो जाता है और यह देश के बाकी हिस्सों से कट जाता है। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए चुटक पावर हाउस की उत्पादन इकाइयों के दूरस्थ संचालन की योजना बनाई गई है और इसे निम्नो बाजगो पावर स्टेशन के माध्यम से कार्यान्वित किया गया है। इसके लिए निम्नो बाजगो पावर स्टेशन में SCADA नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया है याचिकाकर्ता ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के फॉर्म 9ए के मद संख्या सी3 में विनियमन 26 के तहत नियंत्रण केंद्र की स्थापना के लिए अतिरिक्त सीमा का दावा किया है। माननीय आयोग सीईआरसी टैरिफ विनियमन, 2019 के विनियमन 76 (ढील देने की शक्ति) और विनियमन 77 (कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति) के तहत सीईआरसी विनियमन, 2019 के विनियमन 26(1) के मानदंडों में छूट के लिए याचिकाकर्ता की प्रस्तुति को अनुमति दे सकता है।

10. उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, सीईआरसी द्वारा दिनांक 23.02.2022 के आदेश के तहत पहले से ही अनुमत शुद्ध अतिरिक्त पूंजीकरण और तत्काल याचिका में दावा किए गए 2019-24 हेतु शुद्ध वास्तविक अतिरिक्त पूंजीकरण का सारांश निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
दिनांक 23.02.2022 के आदेश द्वारा अनुमत शुद्ध अतिरिक्त पूंजीकरण (Net Allowed Add Cap)	603.06	589.49	840.04	10.00	60.00
इस याचिका में दावा किया गया शुद्ध वास्तविक अतिरिक्त पूंजीकरण	524.96	520.85	962.07	517.98	290.14

11. पूंजीगत लागत: सीईआरसी द्वारा समीक्षा याचिका संख्या 11/आरपी/2023 (अनुलग्नक-IV) के दिनांक 23.02.2022 के आदेश में उपरोक्त अतिरिक्त पूंजीकरण और ₹ 92,491.81 लाख (31.03.2019 तक) की प्रारंभिक पूंजी लागत को ध्यान में रखते हुए, टैरिफ की गणना के लिए वर्षवार पूंजीगत लागत निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
प्रारंभिक पूंजी लागत	92,491.81	93,016.77	93,537.62	94,499.70	95,017.67
वर्ष के दौरान शुद्ध अतिरिक्त पूंजीकरण	524.96	520.85	962.07	517.98	290.14
समापन पूंजी लागत (closing capital cost)	93,016.77	93,537.62	94,499.70	95,017.67	95,307.81

12. वार्षिक नियत लागत (एएफसी) की गणना:

उपरोक्त पूंजीगत लागत के आधार पर टैरिफ के विभिन्न घटकों की गणना निम्नलिखित विधि से की गई है, जैसा कि प्रासंगिक विनियमों में निर्दिष्ट है:

ए. इक्विटी पर रिटर्न (ROE):

- (i) चुटक एक ROR प्रकार का पावर स्टेशन है, अतएव इक्विटी पर रिटर्न (ROE) की गणना के लिए आधार दर (base rate) 31.03.2019 तक किए गए व्यय और कट-ऑफ तिथि से परे मूल दायरे में किए गए अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के लिए सीईआरसी टैरिफ विनियम 2019 के विनियम 30(2) के अनुसार 15.5% की दर पर विचार किया गया है। मूल सीमा से परे और कट-ऑफ तिथि के बाद किए गए व्यय के लिए, उत्पादन स्टेशन की भारित औसत ब्याज दर को आरओई की गणना के लिए आधार दर माना गया है।
- (ii) आरओई की आधार दर को सीईआरसी टैरिफ विनियमन 2019 के विनियमन-31(3) के अनुसार टैरिफ अवधि (अनुलग्नक-IV) के विभिन्न वर्षों के लिए एनएचपीसी पर लागू 'प्रभावी कर' दर के साथ जोड़ा गया है। इसका विवरण फॉर्म-1(ii) अनुलग्नक-I में दिया गया है।

बी. मूल्यहास:

चुटक पावर स्टेशन के लिए मूल्यहास को सीईआरसी टैरिफ विनियमन, 2019 के विनियमन 33(1) से 33(4) के अनुसार माना गया है, जिसमें पावर स्टेशन के उपयोगी जीवन को 40 वर्ष माना गया है। इसके अलावा, याचिका संख्या 283/GT/2020 में दिनांक 23.02.2022 के सीईआरसी आदेश के अनुसार, 31.03.2019 तक वसूल किए गए 28196.55 लाख रुपये के शुद्ध संचयी मूल्यहास पर विचार किया गया है और 2019-24 की अवधि के लिए मूल्यहास की वास्तविक ऐड कैप के अनुसार पुनर्गणना की गई है।

सी. ऋण पर ब्याज:

सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2019 के विनियम 32(5) के अनुरूप टैरिफ अवधि के लिए ऋण पर ब्याज की गणना के लिए वास्तविक ऋण पोर्टफोलियो पर आधारित ब्याज की भारित औसत दर पर विचार

किया जाता है। ऋण के पुनर्वित्त का विवरण अनुलग्नक-1 (इस याचिका के पृष्ठ संख्या 153-159) के अनुसार संलग्न है। याचिकाकर्ता को सीईआरसी विनियम, 2019 के विनियम, 61 के अनुसार ऋण के पुनर्वित्त के कारण बचत के लिए लाभार्थियों को बिल देने की अनुमति दी जा सकती है।

डी. प्रचालन एवं रखरखाव पर व्यय (O&M Expenses):

टैरिफ अवधि 2019-24 हेतु चुटक पावर स्टेशन के लिए लागू मानक प्रचालन एवं रखरखाव पर खर्च (O&M Expenses) पहले ही माननीय आयोग द्वारा सीईआरसी (टैरिफ की शर्तें व नियम) विनियम, 2019 के तहत अधिसूचित किया जा चुका है और साथ ही आयोग ने टैरिफ आदेश दिनांक 23.02.2022 में भी इसकी अनुमति दी है। मानक प्रचालन एवं रखरखाव पर खर्च पहले ही माननीय आयोग द्वारा याचिका संख्या 283/जीटी/2020 में अपने आदेश दिनांक 23.02.2022 के तहत वास्तविक सुरक्षा व्यय के साथ पूंजीगत पुर्जों (capital spares) की वास्तविक खपत सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2019 के विनियम 35(2)(सी) के अनुसार किया गया इसके अलावा, वेतन संशोधन और जीएसटी के प्रभाव के संबंध में, माननीय आयोग ने निम्नानुसार निर्देश दिए हैं:

वेतन संशोधन का प्रभाव

145. याचिकाकर्ता ने वेतन/वेतन संशोधन और जीएसटी के प्रभाव के कारण अतिरिक्त ओएंडएम व्यय का दावा निम्नानुसार किया है:

(₹ लाख में)

	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
वेतन संशोधन का प्रभाव	398.22	417.21	437.11	457.96	479.81
जीएसटी का प्रभाव	113.11	118.50	124.16	130.08	136.28

146. जनरेटिंग स्टेशन के लिए वेतन/वेतन संशोधन के प्रभाव के संबंध में, यह देखा गया है कि याचिकाकर्ता ने 2014-19 टैरिफ अवधि के लिए वेतन/वेतन संशोधन और ग्रेच्युटी में बड़ी हुई सीमा के प्रभाव के कारण अतिरिक्त ओएंडएम व्यय की वसूली की मांग करते हुए याचिका संख्या 223/एमपी/2019 दायर की है। चूंकि

2019-24 टैरिफ के लिए याचिकाकर्ता का दावा 2018-19 के वेतन/वेतन संशोधन के प्रभाव पर आधारित है, जिसे याचिका संख्या 223/एमपी/2019 में आयोग द्वारा अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है, इसलिए वेतन संशोधन और ग्रेच्युटी में बड़ी हुई सीमा के प्रभाव पर इस आदेश में विचार नहीं किया गया है। हालांकि, टैरिफ के टूटने के समय इस पर विचार किया जाएगा।

वस्तु एवं सेवा कर

147. जीएसटी के प्रभाव के लिए अतिरिक्त ओएंडएम व्यय के दावे के संबंध में, 2018-19 के लिए जीएसटी के प्रभाव के आधार पर, यह देखा गया है कि 2019-24 टैरिफ अवधि के दौरान जीएसटी के वास्तविक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं और यह दावा याचिका संख्या 283/जीटी/202 71 में आदेश 79 के ऑडिटर द्वारा प्रमाणित 2018-19 के लिए 107.96 लाख रुपये के वास्तविक जीएसटी पर आधारित है, जिसे @ 4.77% वार्षिक की दर से बढ़ा दिया गया है। याचिकाकर्ता के दावे को ध्यान में रखते हुए और 2018-19 के वास्तविक ऑडिट किए गए आंकड़ों पर विचार करते हुए, हम 2019-24 टैरिफ अवधि के लिए जीएसटी के प्रभाव के रूप में प्रति वर्ष 107.96 लाख रुपये की अनुमति देना उचित पाते हैं। हालांकि, याचिकाकर्ता को टैरिफ के टूटने के समय, विधिवत ऑडिट किए गए जीएसटी के वास्तविक प्रभाव को प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता है। तदनुसार, 2019-24 टैरिफ अवधि के लिए अनुमत जीएसटी का अनुमानित प्रभाव निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
107.96	107.96	107.96	107.96	107.96

माननीय आयोग ने वेतन संशोधन के दावा किए गए प्रभाव को स्वीकार करते हुए दिनांक 10.11.2022 (अनुलग्नक-III(d)) के आदेश के माध्यम से याचिका संख्या 223/MP/2019 का निपटारा कर दिया है। याचिका संख्या 223/MP/2019 में दिनांक 10.11.2022 के आदेश और वेतन संशोधन के प्रभाव का दावा करने के लिए लेखा परीक्षक के प्रमाण पत्र (अनुलग्नक-III(e)) के आधार पर, 2018-19 के लिए वेतन संशोधन का प्रभाव (अर्थात् सुरक्षा सेवाओं के वेतन संशोधन प्रभाव को छोड़कर) 2019-20 से 2023-24 की अवधि के लिए

4.77% की दर से बढ़ाया गया है और फॉर्म-17 (अनुलग्नक-1) के परिशिष्ट-1 में दावा किया गया है। माननीय आयोग से अनुरोध है कि इसे अनुमति दी जाए।

2019-24 की अवधि के लिए जीएसटी के वास्तविक प्रभाव को प्रस्तुत करने के संबंध में, यह प्रस्तुत किया गया है कि टैरिफ अवधि 2019-24 के दौरान उठाए गए कई जीएसटी चालानों के कारण, याचिकाकर्ता अत्यधिक डेटा से जीएसटी राशि संकलित नहीं कर सका। यह प्रस्तुत किया गया है कि माननीय आयोग ने बाद की अवधि के लिए 2018-19 के जीएसटी प्रभाव को बढ़ाकर एनएचपीसी के अन्य पावर स्टेशनों के लिए जीएसटी प्रभाव की अनुमति दी है। इन आदेशों के अनुरूप, वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी (सुरक्षा सेवाओं के अलावा) के वास्तविक प्रभाव को 2019-20 से 2023-24 तक 4.77% की दर से बढ़ाकर 2019-24 की अवधि के लिए जीएसटी प्रभाव का दावा किया है (अनुलग्नक- 1 के फॉर्म -17 के परिशिष्ट- 1)। उपरोक्त पद्धति के अनुसार दावा किए गए जीएसटी के प्रभाव की अनुमति देने के लिए विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की जाती है।

ई. कार्यशील पूंजी पर ब्याज

कार्यशील पूंजी पर ब्याज की गणना सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2019 के विनियम 34(3) के अनुसार टैरिफ अवधि के संबंधित वर्ष की 1 अप्रैल को बैंक दर (1 वर्ष एसबीआई एमसीएलआर + 350 बीपी) पर विनियमन 34(1)(सी) के अनुसार मानक आधार पर की गई है।

13. ऊपर पैरा-10 और पैरा-11 में उल्लिखित पूंजी लागत और मापदंडों के आधार पर, याचिकाकर्ता ने टैरिफ अवधि 2019-24 के लिए संशोधित वार्षिक नियत लागत (एएफसी) की गणना की है। सीईआरसी द्वारा

23.02.2022 के आदेश के तहत अनुमत एएफसी का विवरण और याचिकाकर्ता द्वारा गणना की गई और तत्काल याचिका में दावा किया गया विवरण नीचे संक्षेप में दिया गया है:

(₹ लाख में)

विवरण	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
23.02.2022 के आदेश द्वारा अनुमत एएफसी	15388.28	15456.62	15558.46	15660.63	15696.39
वर्तमान याचिका में दावा किया गया ए.एफ.सी.					
मूल्यहास	4,657.64	4,675.44	4,732.03	4,757.81	4,790.04
ऋण पर ब्याज	1,247.73	1,088.31	933.68	788.03	612.16
इक्विटी पर रिटर्न	5,214.55	5,280.17	5,288.89	6,091.54	6,205.63
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	357.90	342.44	326.91	343.52	403.16
प्रचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) पर व्यय	4,375.57	4,599.04	4,830.26	5,032.13	5,284.86
दावा किया गया वार्षिक नियत लागत (एएफसी)	15,853.39	15985.39	16,111.78	17,013.04	17,295.85

तत्काल याचिका में दावा किए गए एएफसी और दिनांक 23.02.2022 के आदेश के अनुसार अनुमत एएफसी के बीच अंतर को सीईआरसी (टैरिफ के निबन्धन एवं शर्तों) विनियम, 2019 के विनियम 13 के खंड (4) के प्रावधानों के अनुसार लाभार्थियों से वसूल / वापस करने की अनुमति प्रदान करें।

- सीईआरसी (शुल्क का भुगतान) विनियम, 2012 और इसके संशोधनों के अनुरूप एनएचपीसी के चालू पावर स्टेशनों के संबंध में फाइलिंग शुल्क का भुगतान अप्रैल माह के दौरान सीईआरसी को वर्ष

दर वर्ष आधार पर नियमित रूप से किया जा रहा है। चुटक पावर स्टेशन के संबंध में 2019-24 के दौरान भुगतान किए गए टैरिफ फाइलिंग शुल्क का विवरण निम्नानुसार है।

वर्ष	राशि (रु. में)
2019-20	1,93,600/-
2020-21	1,93,600/-
2021-22	1,93,600/-
2022-23	1,93,600/-
2023-24	1,93,600/-
कुल	5,68,000/-

इस प्रकार भुगतान किया गया टैरिफ फाइलिंग शुल्क टैरिफ आदेश दिनांक 31.03.2024 के अनुरूप प्रतिवादियों से वसूला जा रहा है।

15. उपरोक्त टैरिफ में कोई भी वैधानिक कर, levies, duties, उपकर, प्रभार या किसी भी अन्य प्रकार का अधिरोपण (imposition) शामिल नहीं है, जो किसी भी सरकार (केन्द्रीय/राज्य) और/या किसी अन्य स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/विनियामक प्राधिकरण द्वारा किसी अधिनियम या विनियमन के माध्यम से विद्युत उत्पादन, auxiliary consumption सहित या किसी अन्य प्रकार का consumption , विद्युत पारेषण, पर्यावरण संरक्षण, विद्युत/ऊर्जा की बिक्री या आपूर्ति, और/या उत्पादन स्टेशनों और/या पारेषण प्रणाली से संबद्ध इसके किसी भी प्रतिष्ठान के संबंध में लगाया/प्रभारित किया गया हो।
16. एनएचपीसी द्वारा किसी भी माह में संबंधित प्राधिकारियों को उक्त करों/शुल्कों/उपकर/लेवी/प्रभारों आदि के रूप में देय ऐसे करों/शुल्कों/उपकर/लेवी/प्रभारों आदि की राशि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2019 के विनियम 56 के अनुसार प्रतिवादियों द्वारा वहन किया जाएगा तथा याचिकाकर्ता को अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा।

17. इसके अलावा, टैरिफ प्रस्ताव में सीईआरसी (अंतर-राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम, 2020 और इसके संशोधनों तथा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र की फीस तथा प्रभार तथा अन्ध सहबद्ध मामले) विनियम, 2019 और इसके संशोधनों के तहत PGCIL, POSOCO/NLDC को भुगतान किए जाने वाले किसी भी ट्रांसमिशन/संचार/यूएलडीसी (ULDC) शुल्क शामिल नहीं हैं। सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2019 के विनियम 57 और 70(3) के अनुसार ये शुल्क लाभार्थियों से सीधे वसूल किए जा सकेंगे।
18. याचिका संख्या 283/GT/2022 में दिनांक 23.02.2022 के टैरिफ आदेश के पैरा 162 में माननीय आयोग ने 2019 टैरिफ विनियमन तैयार करते समय प्रस्तुत विवरणों के विरुद्ध टैरिफ याचिका 282/GT/2020 में 2014-17 की अवधि के लिए वास्तविक सहायक बिजली खपत के लिए याचिकाकर्ता के दावे में भिन्नता का कारण स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। इस संबंध में, सहायक बिजली खपत के बारे में प्रस्तुत जानकारी इस प्रकार है:

Parameters	2014-15	2015-16	2016-17
टैरिफ विनियमन, 2019 तैयार करते समय प्रस्तुत	4.98 %	6.45 %	5.87 %
टैरिफ याचिका संख्या 283/GT/2020 तैयार करने में प्रस्तुत	5.1 %	6.4 %	5.9 %

एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि आंकड़ों में यह परिवर्तन दशमलव स्थानों में आंकड़े पूर्णांकित करने के कारण हुआ है।

भाग -बी: 2024-29 की अवधि के लिए टैरिफ याचिका (अनुलग्नक-II)

1. सीईआरसी टैरिफ विनियम 2024 के विनियम 9(2), 10(1), 12, 25, 26 36(2) और 91 के अनुसार याचिकाकर्ता को 2024-29 की अवधि के लिए टैरिफ याचिका के साथ-साथ 2019-24 की अवधि के

लिए टूइंग अप याचिका 30.11.2024 तक प्रस्तुत करनी होगी। सीईआरसी टैरिफ विनियमन के विनियमन 9(2) और 12 का प्रासंगिक अंश निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“9 टैरिफ निर्धारण के लिए आवेदन

.....

(2) विद्यमान उत्पादन स्टेशन या उसकी इकाई, या पारेषण प्रणाली या उसके घटक के मामले में, उत्पादन कंपनी या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी, यथास्थिति, द्वारा आवेदन केविविआ (टैरिफ के निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2019 के अनुसार, पहले से स्वीकृत और दिनांक 31.3.2024 तक व्ययित अतिरिक्त पूंजी लागत (वास्तविक या अनुमानित पूंजी लागत के आधार पर) सहित स्वीकृत पूंजी लागत और 2019-24 की अवधि के लिए टूअप याचिका के साथ 2024-29 की तारीफ अवधि के संबंधित वर्षों के लिए अनुमानित अतिरिक्त पूंजी व्यय सहित के आधार पर दिनांक 30.11.2024 तक किया जा सकता है”

“12 2019-24 की अवधि के लिए टैरिफ का टूइंग अप

2019-24 की अवधि के लिए उत्पादन स्टेशनों, एकीकृत खदानों और पारेषण प्रणालियों के टैरिफ को 2024-29 की अवधि के लिए टैरिफ याचिका के साथ केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबन्धन और शर्तें) विनियम, 2019 के विनियम 13 के उपबंधों के अनुसार टू ड अप किया जाएगा। 2024-29 की अवधि के लिए टैरिफ अवधारणा के लिए 1.4.2024 को प्रारम्भिक पूंजी लागत का आधार, टू इंग अप के आधार पर 31.3.2024 को स्वीकृत पूंजी लागत का आधार बनेगा।

इसके अलावा, सीईआरसी टैरिफ विनियम 2024 के विनियमन 10(1) के अनुसार, याचिकाकर्ता को प्रासंगिक टैरिफ फॉर्म (सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2024 के साथ **अनुलग्नक-II** के रूप में संलग्न) के अनुसार याचिका दायर करनी है, जिसमें टैरिफ अवधि 2024-29 के लिए अनुमानित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय का विवरण शामिल है।

2. वर्ष 2019-24 की अवधि के लिए टैरिफ का टू-अप, प्रासंगिक टैरिफ प्रपत्र और अनुलग्नक इस याचिका के साथ भाग-ए के अंतर्गत संलग्न है।
3. चूंकि परियोजना की कट-ऑफ तिथि पहले ही बीत चुकी है, इसलिए 2024-29 की अवधि के लिए अनुमानित अतिरिक्त क्षमता का दावा सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2024 के विनियम 25 और 26 के प्रावधानों के तहत किया जा रहा है।
4. टूइंग अप याचिका (भाग-ए) के आधार पर 31.03.2024 तक समापन पूंजी लागत रुपये 95307.81 लाख थी, जिसका उपयोग टैरिफ अवधि 2024-29 के लिए टैरिफ की गणना के लिए 01.04.2024 तक प्रारंभिक पूंजी लागत के रूप में किया गया है।
5. इस याचिका में विचारित टैरिफ अवधि 2024-29 के लिए अनुमानित पूंजीगत व्यय का विवरण अनुलग्नक-II के फॉर्म-9ए में दिया गया है। इसे नीचे सारणीबद्ध किया गया है:

(लाख रुपए में)

क्रम सं.	विवरण	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
ए	वर्ष/अवधि के दौरान संवृद्धि	7,805.79	147.00	165.00	0.00	30.00
बी	घटाएँ: वर्ष/अवधि के दौरान गैर पूंजीकरण	0.00	0.54	72.16	0.00	13.67
सी	जोड़ें: वर्ष / अवधि के दौरान निर्वहन (discharge)	15.38	11.20	0.00	0.00	0.00
डी	शुद्ध योग (ए-बी+सी)	7,821.17	157.66	92.84	0.00	16.33

6. **पूंजीगत लागत:** उपरोक्त अनुमानित अतिरिक्त पूंजीकरण और रुपये 95307.81 लाख की प्रारंभिक पूंजी लागत (01.04.2024 तक) को ध्यान में रखते हुए, टैरिफ की गणना के लिए वर्षवार पूंजीगत लागत निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

विवरण	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
प्रारंभिक पूंजी लागत	95307.81	103128.98	103286.64	103379.48	103379.48
वर्ष के दौरान शुद्ध अतिरिक्त पूंजीकरण	7821.17	157.66	92.84	0.00	16.33
समापन पूंजी लागत	103128.98	103286.64	103379.48	103379.48	103395.81

7. वार्षिक नियत लागत (एएफसी) की गणना:

उपरोक्त पूंजीगत लागत के आधार पर, टैरिफ के विभिन्न घटकों की गणना निम्नलिखित तरीके से की गई है, जैसा कि प्रासंगिक सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2024 में निर्दिष्ट है:

ए. इक्विटी पर रिटर्न (आरओई):

- (i) चुटक पावर स्टेशन एक आरओआर प्रकार का संयंत्र है, इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) की गणना के लिए आधार दर को टैरिफ विनियम 2024 के विनियम-25 के तहत अनुमानित पूंजीगत व्यय के लिए 15.5% माना गया है और टैरिफ विनियम 2024 के विनियम-26 के तहत अनुमानित अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के लिए 1 अप्रैल 2024 को एक वर्ष का एसबीआई एमसीएलआर प्लस 350 आधार अंक माना गया है।
- (ii) आरओई की आधार दर को सीईआरसी टैरिफ विनियमन 2024 के विनियमन-31(1) के अनुरूप 01.04.2024 को प्रचलित एमएटी दर के साथ जोड़ दिया गया है, जिसे बाद में "प्रभावी कर" दर के आधार पर सही किया जाएगा।

बी. मूल्यहास:

चुटक पावर स्टेशन के लिए मूल्यहास को पावर स्टेशन का उपयोगी जीवन 40 वर्ष सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2019 के विनियमन 33 (1) से 33 (4) के अनुरूप माना गया है, जिसमें पावर स्टेशन का उपयोगी जीवन 40 वर्ष माना गया है।

सी. ऋण पर ब्याज:

सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2024 के विनियम 32 के अनुरूप टैरिफ अवधि 2024-29 के लिए ऋण पर ब्याज की गणना के लिए वास्तविक ऋण पोर्टफोलियो पर आधारित ब्याज की भारत औसत दर को लिया गया है।

डी. प्रचालन व रखरखाव व्यय (ओएंडएम व्यय):

टैरिफ अवधि 2024-29 के लिए चुटक पावर स्टेशन के लिए लागू ओएंडएम व्यय को पहले ही केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2024 के विनियम 36(2) के तहत माननीय आयोग द्वारा पावर स्टेशन के पिछले वर्षों के वास्तविक ओएंडएम व्यय के आधार पर अधिसूचित किया जा चुका है। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबन्धन एवं शर्तें) विनियम, 2024 के विनियम 36(2) का प्रासंगिक अंश

“36 प्रचालन एवं रखरखाव व्यय:

(2) हाइड्रो जनरेटिंग स्टेशन:

विवरण	वित्त वर्ष 2024-25	वित्त वर्ष 2025-26	वित्त वर्ष 2026-27	वित्त वर्ष 2027-28	वित्त वर्ष 2028-29
चुटक	4259.73	4492.64	4738.28	4997.36	5270.60

.....

(ग) हाइड्रो उत्पादन स्टेशनों के लिए प्रतिस्पर्धी बोली द्वारा प्राप्त सुरक्षा व्यय, पूंजी स्पेयर्स एवं बीमा व्यय की अनुमति विवेकपूर्ण जांच के बाद पृथक रूप से दी जाएगी:

बशर्ते यह कि उत्पादन स्टेशन उसके अनुमानित व्यय के साथ सुरक्षा व्यय, पूंजी स्पेयर्स और बीमा व्यय का मूल्यांकन प्रस्तुत करेंगे, जिसे समुचित स्पष्टीकरण के साथ उपभोग किए गए वर्षवार वास्तविक पूंजी व्यय, वास्तविक बीमा और व्ययित सुरक्षा व्यय के विवरणों के आधार पर टूट अप किया जाएगा।

तदनुसार, 2024-29 के लिए अनुमानित सुरक्षा व्यय का दावा 2023-24 के दौरान वास्तविक सुरक्षा व्यय के आधार पर 2024-25 से 5.47% की दर से बढ़ाकर किया गया है। 2024-25 के लिए बीमा व्यय प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर दिए गए बीमा लागत के आधार पर लिया गया है। इसके अलावा इस लागत को 5.47% प्रति वर्ष की दर से बढ़ाया गया है। पूंजीगत पुर्जों की खपत का दावा वास्तविक खपत के आधार पर टूटिंग अप करने के समय किया जाएगा। अनुमत ओएंडएम व्यय के अतिरिक्त दावा किए गए ओएंडएम व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

(रुपये लाख में)

विवरण	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
स्वीकृत मानक ओ एंड एम व्यय	4259.73	4492.64	4738.28	4997.36	5270.60
अनुमानित सुरक्षा व्यय (बी)	503.79	531.35	560.41	591.06	623.40
अनुमानित बीमा व्यय (सी)	745.03	785.79	828.77	874.10	921.92
पूंजीगत पुर्जों की खपत (घ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल ओ एंड एम व्यय (ई = ए + बी + सी + डी)	5508.55	5809.77	6127.46	6462.53	6815.91

तदनुसार, माननीय आयोग से अनुरोध है कि वह 2024-29 की अवधि के लिए उपरोक्त ओएंडएम व्यय की अनुमति प्रदान किया जाए। 2024-29 के दौरान सुरक्षा व्यय, पूंजीगत पुर्जों की खपत और बीमा व्यय के कारण वास्तविक व्यय टैरिफ के टूटिंग अप करने के समय प्रस्तुत किया जाएगा।

ई. कार्यशील पूंजी पर ब्याज

कार्यशील पूंजी पर ब्याज की गणना विनियमन 34(1)(डी) के अनुसार मानक आधार पर और सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2024 के विनियम 34(3) के अनुसार 01.04.2024 के संदर्भ दर पर की गई है।

8. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबन्धन एवं शर्तों) विनियम, 2024 के आधार पर 01.04.2024 से 31.03.2029 की अवधि के लिए चुटक पावर स्टेशन के संबंध में वार्षिक नियत लागत (एएफसी) निम्नानुसार है: (अनुलग्नक-II का फॉर्म-1 देखें)।

(रुपये लाख में)

एएफसी घटक	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29
मूल्यहास	4,981.19	1,302.42	1,306.63	1,309.83	1,310.12
ऋण पर ब्याज	523.57	493.27	434.97	380.16	314.45
इक्विटी पर रिटर्न (आरओई)	5,573.19	5,794.84	5,801.01	5,803.47	5,803.93
कार्यशील पूंजी पर ब्याज	402.20	363.25	376.22	389.33	404.17
प्रचालन एवं रखरखाव पर व्यय (O&M Expenses)	5,508.55	5,809.77	6,127.46	6,462.53	6,815.91
वार्षिक नियत लागत (एएफसी)	16,988.70	13,763.54	14,046.28	14,345.32	14,648.58

9. मध्यस्थता/न्यायालय मामले:

ए. चुटक पावर स्टेशन के डायवर्सन चैनल, कॉफ़र डैम, बैराज, इंटेक स्ट्रक्चर, एचआरटी, सर्ज शाफ्ट, प्रेशर शाफ्ट, भूमिगत पावर हाउस, टीआरटी सिस्टम और स्विचयार्ड के लिए लॉट-I-सिविल कार्य के

निष्पादन के लिए मेसर्स हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (ठेकेदार) और एनएचपीसी के बीच मध्यस्थता के मामले में

तीन सदस्यों वाले मध्यस्थ न्यायाधिकरण (एटी) द्वारा दिनांक 31.12.2014 (अनुलग्नक-I) को एक मध्यस्थता पुरस्कार पारित किया गया था, जिसके अंतर्गत 98,81,88,752/- रुपये (53,96,46,128/- रुपये, 1,80,25,545/- रुपये, 13,98,80,000/- रुपये, 7,59,44,659 रुपये, 17,52,00,000/- रुपये, 3,94,92,420/- रुपये) के साथ-साथ 12.04.2013 से अंतिम भुगतान की तिथि तक 14% की दर से ब्याज और अनुपालन में विफल होने पर पुरस्कार की तिथि से अंतिम भुगतान की तिथि तक 18% की दर से ब्याज ठेकेदार मेसर्स हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (ठेकेदार) के पक्ष में दिया गया। एनएचपीसी ने अपीलीय न्यायाधिकरण के निर्णय को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

इसके अलावा, सीसीईए और ओएम संख्या 14070/14/2016-पीपीपीएयू दिनांक 05.09.2016 (निर्माण क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के उपाय के संबंध में) के निर्णय के अनुसार, एनएचपीसी को बैंक गारंटी (बीजी) के खिलाफ ठेकेदार को कुल भुगतान के 75% के बराबर राशि (यानी ऐसे अवार्ड के अनुसार देय ब्याज सहित मध्यस्थता अवार्ड राशि, यदि कोई हो) का भुगतान करना आवश्यक था, जो कि चुनौती के तहत मामले में अदालत के अंतिम आदेश के अधीन था।

तदनुसार, सक्षम प्राधिकारी ने मध्यस्थ न्यायाधिकरण (एटी) द्वारा पारित दिनांक 31.12.2014 के आदेश को स्वीकार करने की स्वीकृति दी है और ठेकेदार को 01.09.2017 को 125.12 करोड़ रुपये (मूलधन: 74.11 करोड़ रुपये और ब्याज: 51.01 करोड़ रुपये) जारी करने की मंजूरी दी है। मामले की समग्र स्थिति को ध्यान में रखते हुए लेखा पुस्तकों में 14.49 रुपये का प्रावधान बनाया गया था और यह हमारी पुस्तकों में मौजूद है। हालाँकि, किसी भी पिछली याचिका में टैरिफ फॉर्म में कोई देयता का उल्लेख नहीं किया गया है।

मौजूदा सीईआरसी विनियमन के अनुसार, सीईआरसी विनियम, 2024 के विनियमन 25(1) (ए) के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 में एंड कैप के तहत 74.11 करोड़ रुपये की मूल राशि का दावा

किया गया है (क्रमांक C 10-15, फॉर्म 9ए, वित्त वर्ष 2024-25) और सीईआरसी विनियम, 2024 के विनियम 91 के अनुसार प्रतिपूर्ति के माध्यम से 51.01 करोड़ रुपये की ब्याज राशि वसूल की जानी है। माननीय आयोग से अनुरोध है कि वह मूलधन के उपरोक्त उपचार की अनुमति दे और सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2024 के विनियम 91 के अनुसार 51.01 करोड़ रुपये की ब्याज राशि की प्रतिपूर्ति की अनुमति दे।

चूंकि याचिकाकर्ता द्वारा नीति आयोग के निर्देश/न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मध्यस्थता पुरस्कार के लिए पर्याप्त राशि का भुगतान/जमा किया गया है। इससे याचिकाकर्ता के नकदी प्रवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तदनुसार, इसे सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2024 के विनियम 25(1) (ए) के तहत अतिरिक्त पूंजीकरण के रूप में अनुमति दी जा सकती है। यह उल्लेख करना उचित है कि उपरोक्त मध्यस्थता पुरस्कार के खिलाफ अतिरिक्त कैप पर विचार करने से याचिकाकर्ता के लिए नकदी प्रवाह की समस्या कम हो जाएगी और साथ ही लाभार्थियों को ऐसी लागत पर भविष्य में वहन लागत का भुगतान करने के अतिरिक्त बोझ से बचाया जा सकेगा। माननीय आयोग सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2024 के विनियम, 102 (ढील देने की शक्ति) और विनियम 103 (कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति) के तहत सीईआरसी विनियम, 2024 के विनियम 25(1) (ए) और 91 के मानदंडों में छूट के संबंध में याचिकाकर्ता के उपरोक्त प्रस्तुतीकरण को अनुमति दे सकता है।

10. न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, ठेकेदार को 01.09.2017 को मध्यस्थता पुरस्कार राशि का 75% भुगतान किया गया है, जिसमें पुरस्कार के बाद का ब्याज भी शामिल है। हालांकि, याचिकाकर्ता पहले से खर्च की गई राशि के लिए टैरिफ में लाभ से वंचित है। यदि मामला पहले ही निपट जाता, तो याचिकाकर्ता को राशि के वितरण की तारीख से टैरिफ मिल सकता था। तदनुसार, यह विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत किया जाता है कि मौजूदा सीईआरसी विनियमन के अनुसार राशि के वितरण की तारीख से 31.03.2024 तक याचिकाकर्ता द्वारा खर्च की गई राशि पर काल्पनिक ब्याज की अनुमति दी जाए। हमने मौजूदा सीईआरसी विनियमन, 2019 के अनुसार एक वर्ष के एसबीआई एमसीएलआर + 350

बीपी पर 86.73 करोड़ रुपये की ब्याज राशि की गणना की है। माननीय आयोग से अनुरोध है कि ब्याज राशि की प्रतिपूर्ति की अनुमति दी जाए।

माननीय आयोग सीईआरसी टैरिफ विनियमन, 2024 के विनियमन 102 (पावर टूरिलैक्स) और विनियमन 103 (कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति) के तहत मौजूदा सीईआरसी मानदंडों में छूट देते हुए, अदालत में भुगतान/जमा की गई ब्याज राशि पर काल्पनिक ब्याज की अनुमति दे सकता है।

11. वर्ष 2024-25 (टैरिफ अवधि 2024-29 का पहला वर्ष) के लिए 1,93,600/- रुपये की फाइलिंग फीस सीईआरसी (शुल्क का भुगतान) विनियम, 2012 और इसके संशोधनों के अनुसार पहले ही इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्तांतरित की जा चुकी है। सीईआरसी को पहले ही इसकी सूचना दे दी गई है। इसके अलावा, टैरिफ अवधि 2024-29 के शेष वर्षों के संबंध में फाइलिंग शुल्क याचिकाकर्ता द्वारा उपरोक्त सीईआरसी विनियम के अनुपालन में संबंधित वर्ष की 30 अप्रैल तक जमा किया जाएगा। तदनुसार, माननीय आयोग से अनुरोध है कि वह सीईआरसी टैरिफ विनियमन 2024 के विनियम 94(1) के अनुरूप लाभार्थियों से फाइलिंग शुल्क की प्रतिपूर्ति की अनुमति दे।
12. केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (कारबार संचालन) विनियम, 2023 के अनुपालन में, याचिकाकर्ता चुटक पावर स्टेशन के संबंध में टैरिफ याचिका की सूचना समाचार पत्रों में प्रकाशित करेगा। इसके लिए प्रकाशन का प्रमाण अलग से प्रस्तुत किया जाएगा। माननीय आयोग से अनुरोध है कि वह सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2024 के विनियम 94(1) के अनुरूप लाभार्थियों से प्रकाशन व्यय की वसूली की अनुमति प्रदान करें।
13. उपर्युक्त टैरिफ प्रस्ताव में किसी भी सरकार (केंद्रीय/राज्य) और/या किसी अन्य स्थानीय निकाय/प्राधिकरण/विनियामक प्राधिकरण द्वारा विद्युत उत्पादन सहायक उपभोग (auxiliary consumption) सहित अथवा किसी अन्य प्रकार के उपभोग जैसे कि विद्युत पारेषण, पर्यावरण संरक्षण, विद्युत/ऊर्जा की बिक्री या आपूर्ति, और/या उत्पादन स्टेशनों और/या पारेषण प्रणाली से संबद्ध

इसके किसी भी प्रतिष्ठान के संबंध में लगाए गए/प्रभारित किए गए किसी भी वैधानिक कर, शुल्क, उपकर या अन्य प्रकार के अधिरोपण शामिल नहीं हैं।

14. एनएचपीसी द्वारा किसी भी माह में संबंधित प्राधिकारियों को उक्त करों/शुल्कों/उपकर/लेवी आदि के रूप में देय राशि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, प्रतिवादियों द्वारा वहन की जाएगी तथा एनएचपीसी को अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा तथा प्रतिवादियों द्वारा उनके द्वारा देय वार्षिक क्षमता प्रभार के अनुपात में इसे देय किया जाएगा।
15. इसके अलावा, टैरिफ प्रस्ताव में सीईआरसी (अंतर- राज्यिक पारेषण प्रभारों) हानियों हानियों की शेयरिंग) विनियम, 2020 और इसके संशोधनों तथा केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (प्रादेशिक भार प्रेषण की फीस तथा प्रभार तथा अन्य सहबद्ध मामले) विनियम, 2024 और इसके संशोधनों के तहत PGCIL, POSOCO/ NLDC को भुगतान किए जाने वाले किसी भी ट्रांसमिशन/संचार/यूएलडीसी शुल्क को शामिल नहीं किया गया है। सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2024 के विनियम 94 के अनुसार ये शुल्क लाभार्थियों से सीधे वसूल किए जाएंगे।
16. माननीय आयोग ने याचिका संख्या 283/GT/2020 में दिनांक 23.02.2022 के आदेश में 2019-24 की अवधि के लिए चुटक पावर स्टेशन के लिए 5% तक सहायक खपत की अनुमति दी है। पावर स्टेशन लगभग 2700 मीटर की बहुत ऊंचाई पर स्थित है और तापमान वर्ष में लगभग 6 महीने उप-शून्य श्रेणी में रहता है। सर्दियों के दौरान तापमान (-) 300C तक गिर जाता है। तदनुसार, पावर स्टेशन ने बांध में डी-आइसिंग उद्देश्य के लिए स्पिलवे गेट/कचरा रैक आदि में हीटर लगाए हैं। इसके अलावा, प्लांट के सुचारू, सुरक्षित और सफल संचालन के लिए पावर हाउस में बॉयलर, स्पेस हीटर, ब्लोअर, हीट ट्रेसिंग एलिमेंट आदि जैसी हीटिंग व्यवस्था स्थापित की गई है। ये सभी उपकरण पर्याप्त बिजली की खपत करते हैं। चुटक विद्युत स्टेशन के संबंध में पिछले 5 वर्षों के वास्तविक सहायक विद्युत खपत (actual auxiliary power consumption) आंकड़े निम्नानुसार हैं:

वित्तीय वर्ष	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
वास्तविक सहायक विद्युत खपत	3.36 %	2.56 %	2.42 %	3.59 %	4.03 %

उपरोक्त बाधा को देखते हुए, माननीय आयोग से अनुरोध है कि वह विनियमन 102 (पावर टू रिलैक्स) और विनियमन 103 (हटाने की शक्ति) के तहत मानदंडों में छूट प्रदान करे।

भाग-सी: वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए कमी का दावा

1. सीईआरसी टैरिफ विनियम 2024 का विनियम 65(8) उत्पादक कंपनी को टैरिफ अवधि 2019-24 के लिए shortfall का दावा करने की अनुमति देता है, जिसे इस विनियम के विनियम 65(7) के अनुसार वसूल किए जाने वाले टैरिफ अवधि के दौरान वसूल नहीं किया जा सका है। विनियमों का प्रासंगिक अंश निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“65. जल विद्युत उत्पादन स्टेशनों के लिए क्षमता प्रभार और ऊर्जा प्रभार की गणना और भुगतान:

.....

(7) यदि वर्ष के दौरान हाइड्रो उत्पादन स्टेशन की बिक्री योग्य अनुसूचित ऊर्जा (एक्स-बस) उत्पादन स्टेशन के नियंत्रण से आगे कारणों के लिए बिक्री योग्य डिजाइन ऊर्जा (एक्स-बस) से कम है, उत्पादन स्टेशन तत्काल आगामी वर्ष में डीएसएम ऊर्जा के लिए समायोजन के बाद छः बराबर व्याजमुक्त मासिक किस्तों में ऊर्जा प्रभार में कमी की प्रत्यक्ष रूप से वसूली कर सकता है और टैरिफ अवधि के अंत तक टूटिंग अप के अधीन होगा।

परंतु यह कि

(8) टैरिफ अवधि 2019-24 के दौरान बिक्री योग्य डिजाइन ऊर्जा (एक्स-बस) से कम रही बिक्री योग्य अनुसूचित ऊर्जा (एक्स-बस) के कारण ऊर्जा प्रभारों में कोई कमी, जो उत्पादन स्टेशन के नियंत्रण से

बाहर थी और जिसे उक्त टैरिफ अवधि के दौरान वसूल नहीं किया जा सका, इस विनियम के खंड (7) के अनुसार वसूल की जाएगी।

2. सीईआरसी टैरिफ विनियम 2024 की अधिसूचना तक एनएचपीसी ने सीईआरसी टैरिफ विनियम 2019 के विनियम 44(7) के अनुरूप वित्त वर्ष 2019-20, वित्त वर्ष 2020-21 और वित्त वर्ष 2021-22 के लिए shortfall की याचिकाएं दायर की हैं। हालांकि, सीईआरसी टैरिफ विनियम 2024 की अधिसूचना तक वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए shortfall याचिकाएं सीईआरसी में दायर नहीं की जा सकीं क्योंकि वित्त वर्ष 2022-23 और वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अंतिम आरईए जारी नहीं किया गया था।
3. इसलिए, एनएचपीसी ने विनियम 65(8) और 65(7) के अनुरूप एनएचपीसी के कुछ पावर स्टेशनों के लिए सितंबर 2024 के महीने में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ऊर्जा शुल्क में shortfall का बिल जारी किया है। वर्तमान में, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अंतिम (final) आरईए प्राप्त न होने के कारण वित्त वर्ष 2023-24 में shortfall का बिल आज तक नहीं जारी किया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए अंतिम आरईए प्राप्त होने पर, एनएचपीसी संबंधित पावर स्टेशन के लिए वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ऊर्जा शुल्क में shortfall का बिल जारी करेगा। Final REA प्राप्त होने के बाद ऊर्जा शुल्क में shortfall को सीईआरसी टैरिफ विनियमन 2024 के विनियमन 65(8) और 65(7) के अनुसार डूड अप किया जाएगा और इस संबंध में विस्तृत प्रस्तुति (detail submission) तत्काल याचिका में अतिरिक्त जानकारी के रूप में की जाएगी।

प्रार्थना

भाग-ए: 2019-24 की अवधि के लिए टैरिफ का ड्रॉइंग अप

माननीय आयोग से अनुरोध है कि कृपया निम्न का अनुमति प्रदान करने की कृपा करें:

1. केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ के निबन्धन एवं शर्तों) विनियम, 2019 के विनियम-13 के अनुसार दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2024 की अवधि के लिए चुटक पावर स्टेशन के टैरिफ में संशोधन हेतु अनुमति प्रदान करें।
2. जैसा कि ऊपर पैरा-7 (भाग-ए) में उल्लिखित है, ऐसे अतिरिक्त पूंजीगत व्यय की कृपया अनुमति प्रदान करें, जिन्हें सीईआरसी के दिनांक 23.02.2022 के आदेश द्वारा अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन 2019-24 के दौरान साइट विशिष्ट की आवश्यकताओं के कारण खर्च किए गए थे।
3. उपरोक्त पैरा-7 (भाग-ए) में उल्लिखित ऐसे अतिरिक्त पूंजीगत व्यय की अनुमति प्रदान करें, जिन्हें सीईआरसी के सीईआरसी विनियम 2019 के विनियम 26 के अंतर्गत संयंत्र के सफल और कुशल संचालन के लिए आवश्यक समझा गया था।
4. उपरोक्त पैरा-8 (भाग-ए) में उल्लिखित टैरिफ के प्रयोजन के लिए छोटी परिसंपत्तियों, औजारों और उपकरणों, फर्नीचर, कंप्यूटर आदि की प्रकृति वाली वस्तुओं से संबंधित प्रविष्टियों के अपवर्जन (exclusion) करने की अनुमति प्रदान करें।
5. सीईआरसी विनियम, 2019 के विनियमन 76 (पावर टू रिलैक्स) और विनियमन 77 (कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति) के तहत पैरा-9 (भाग ए) में दावा के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ऐड-कैप की अनुमति दें।

6. उपरोक्त पैरा-10 और 11 (भाग-ए) में दावा किए अनुसार शुद्ध अतिरिक्त पूंजीकरण और पूंजीगत लागत की अनुमति दें।
7. पैरा-10 और 11 (भाग-ए) में उल्लिखित के अनुसार 'प्रभावी कर' इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) की सकल दर के आधार पर टूइंग अप करने की अनुमति प्रदान करें।
8. प्रचालन एवं रखरखाव व्यय के अंतर्गत पैरा-12 (ए) भाग-ए में दावा किए प्रचालन एवं रखरखाव व्यय (ओ एंड एम व्यय) की अनुमति प्रदान करें।
9. चुटक पावर स्टेशन के वार्षिक नियत लागत (एएफसी) की गणना और दावा क्रमशः वित्त वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए ₹ 15853.39 लाख , ₹ 15985.39 लाख , ₹ 16111.78 लाख , ₹ 17013.04 लाख और ₹ 17295.85 लाख रुपये किया गया है, जैसा कि ऊपर पैरा-13 (भाग-ए) में उल्लिखित है। माननीय आयोग कृपया उपरोक्त एएफसी की अनुमति दे। दावा किए गए एएफसी और याचिका 283/जीटी/2020 में सीईआरसी के आदेश दिनांक 23.02.2022 द्वारा अनुमत एएफसी के बीच के अंतर को सीईआरसी (टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2019 के विनियम 13(4) और इसके बाद के संशोधनों में निर्दिष्ट तरीके से प्रतिवादियों से वसूल / वापस करने की अनुमति प्रदान करें।
10. जैसा कि ऊपर पैरा-15 से 17 (भाग-ए) में उल्लेख किया गया है कि एनएचपीसी को प्रतिवादियों को लेवी, कर, शुल्क, उपकर, प्रभार, फीस आदि, यदि कोई है के लिए बिल करने की अनुमति प्रदान करें।

भाग-बी: 2024-29 की अवधि के लिए टैरिफ याचिका

माननीय आयोग से अनुरोध है कि कृपया निम्न का अनुमति प्रदान करने की कृपा करें:

1. केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन और शर्तों) विनियम, 2024 के विनियम-10 के साथ पठित विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62(1)(ए) के अंतर्गत 01.04.2024 से 31.03.2029 की अवधि के लिए चुटक पावर स्टेशन के टैरिफ की अनुमति प्रदान करें।
2. पैरा-5 एवं 6 (भाग-बी) में दावा के अनुसार 2024-29 की अवधि के लिए शुद्ध अतिरिक्त पूंजीकरण की अनुमति प्रदान करें।
3. पैरा-7(डी) (भाग-बी) में दावा के अनुसार सुरक्षा व्यय एवं प्रचालन एवं रखरखाव व्यय (ओ एंड एम व्यय) की अनुमति प्रदान करें।
4. जैसा कि ऊपर पैरा-8 (भाग-बी) में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2024-25, 2025-26, 2026-27, 2027-28 और 2028-29 के लिए नियत वार्षिक लागत की क्रमशः ₹ 16988.70 लाख , ₹ 13763.54 लाख, ₹ 14046.28 लाख , ₹ 14345.32 लाख और ₹ 14648.58 लाख के रूप में गणना की गई है। माननीय आयोग कृपया इन नियत वार्षिक लागत (एएफसी) की अनुमति दें। दावा किए गए एएफसी और सीईआरसी द्वारा 23.02.2022 के आदेश (2023-24 की अवधि के लिए) के तहत अनुमत एएफसी के बीच के अंतर को केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के निबंधन एवं शर्तों) विनियम, 2024 के विनियम 10(6) और उसके बाद के संशोधनों में निर्दिष्ट तरीके से प्रतिवादियों से वसूलने/वापस करने की अनुमति प्रदान करें।
5. पैरा-9 और पैरा-10 [भाग-बी] में उल्लिखित मध्यस्थता मामले के दावे को अनुमति दें, माननीय आयोग कृपया सीईआरसी टैरिफ विनियम, 2024 के विनियमन, 102 (पावर टु रीलेक्स) और विनियमन, 103 (कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति) के तहत हमारे दावे को अनुमति दे सकता है।

6. पैरा-11 [भाग-बी] में उल्लिखित के अनुसार इस याचिका के दाखिल करने के शुल्क की प्रतिपूर्ति की अनुमति प्रदान करें।
7. पैरा-12 [भाग-बी] में उल्लिखित अनुसार टैरिफ याचिका में नोटिस के प्रकाशन पर अवधी 2024-29 में किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की अनुमति प्रदान करें।
8. जैसा कि ऊपर पैरा-13 से 15 (भाग-बी) में उल्लिखित है कि एनएचपीसी को प्रतिवादियों को उपकर, कर, शुल्क, उपकर, ट्रांसमिशन प्रभार, फीस आदि, यदि कोई हो, के लिए बिल जारी करने की अनुमति प्रदान करें।
9. पैरा-16 [भाग-बी] में दावा अनुसार सहायक विद्युत खपत की अनुमति दें।
10. इस प्रकार के अन्य तथा अग्रिम आदेश पारित करने का अनुरोध किया जाता है जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार उचित समझे जाएं।

एनएचपीसी लिमिटेड
के माध्यम से

(अजय श्रीवास)
महाप्रबंधक (वाणिज्य)

स्थान : फरीदाबाद
तारीख :28.11.2024

घोषणा

उपर्युक्त याचिकाकर्ता सत्यनिष्ठा से घोषणा करते हैं कि कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई या दबाई नहीं गई है तथा आगे यह भी घोषणा करते हैं कि संलग्नक तथा सामग्री कागजातों का टाइप किया हुआ सेट, जिस पर भरोसा किया गया है तथा जिसे याचिका के साथ दाखिल किया गया है, मूल प्रतियों की सही प्रतियां हैं/मूल प्रतियों का उचित प्रतिनिधित्व हैं/उनका सही अनुवाद है।

28 नवम्बर 2024 को फ़रीदाबाद में सत्यापित किया गया।

एनएचपीसी लिमिटेड
के माध्यम से

(अजय श्रीवास)
महाप्रबंधक (वाणिज्यिक)